(2) *"मत्स्य पदाधिकारी"* से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे [1][राज्य सरकार] ने इस अधिनियम के समस्त या किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए या कोई ऐसा काम करने के लिए नियुक्त किया हो, जिसके करने का इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन आदेश हो :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, जो पद में सब-इन्सपेक्टर से निम्न पद का हो, इस प्रकार नियुक्त न किया जाएगा;

(3) *"मत्स्य पकड़ने का अपराध"* से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन दण्डनीय हो;

(4) *"स्थिर इंजिन"* से तात्पर्य किसी ऐसे जाल, पिंजड़े (बारयारी), बंसी (फंदा) या मत्स्य पकड़ने के किसी ऐसे अन्य उपकरण से है, जिसे भूमि में लगाया गया हो या जिसे किसी अन्य प्रकार से स्थिर कर दिया गया हो;

(5) *"निजी जलाशय"* से तात्पर्य किसी ऐसे जलाशय से है, जो किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था की एकांकी सम्पत्ति हो या जिसमें किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था या समिति को मत्स्य पकड़ने का स्वामी, पहरेदार या किसी अन्य रूप में एकाधिकार प्राप्त हो और इसमें ऐसे तालाब, तड़ाग, कृत्रिम झील आदि भी सम्मिलित हैं, जिन्हें उनके स्वामी ने अपने व्यय से खुदवाया हो और जिनमें वर्षा ऋतु में नैसर्गिक पानी अर्थात् नदियों, नहरों, धाराओं और झीलों का पानी न आता हो;

स्पष्टीकरण—इस परिभाषा के अन्तर्गत जलाशय "निजी जलाशय" ही समझा जाएगा, यद्यपि उसमें किसी अन्य व्यक्ति को व्यवहार या प्रथा के द्वारा मत्स्य पकड़ने का अधिकार प्राप्त हो।

(6) " [1][*राज्य सरकार*] " से तात्पर्य [1][उत्तर प्रदेश] की सरकार से है;

(7) *"धार्मिक संस्था"* से तात्पर्य किसी मन्दिर, मस्जिद या गिरजे या किसी अन्य ऐसे पवित्र स्थान से है, जो किसी देवता या देवी को अर्पित हो और ऐसी दूसरी संस्थाओं से है, जिन्हें [1][राज्य सरकार] गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में धार्मिक संस्था घोषित करे;

(8) *"धार्मिक समिति"* (Religious body) से तात्पर्य उन ट्रस्टियों या ऐसे दूसरे व्यक्तियों से है जिनके संरक्षण में कोई धार्मिक संस्था हो या जिनका उस समय उस धार्मिक संस्था में स्वामित्व हो;

(9) *"धार्मिक जलाशय"* से तात्पर्य ऐसे जलाशय से है जो किसी धार्मिक समिति या संस्था का हो और जिसमें से धार्मिक आधार पर लगाए गए किसी भी प्रतिबन्धों के कारण पहले कभी भी मत्स्य को न पकड़ा गया हो।

3. नियमों द्वारा चुने हुए जलाशयों में मत्स्य को मारने पर लाइसेन्स लगाना और उसका निषेध करना—(1) [1][राज्य सरकार] इस धारा में आगे बताए हुए प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है और ऐसे नियमों के अधीन यह घोषणा करेगी कि किन जलाशयों के सम्बन्ध में यह सब नियम या इनमें से कोई लागू होंगे।

(2) [1][राज्य सरकार] सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे नियमों या इनमें से किसी को किसी निजी जलाशय पर उसके स्वामी और उन सब व्यक्तियों की लिखित स्वीकृति से लागू कर सकती है, जिनको उस समय उसमें से मत्स्य को पकड़ने का एकाधिकार हो या यदि [1][राज्य सरकार] को इस बात का

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित

संतोष हो जाए कि स्वीकृति बिना किसी उचित कारण के रोक ली गई है, तो बिना उनकी स्वीकृति के भी लागू कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी नियम, जो इस धारा के अधीन बनाया गया हो, किसी धार्मिक जलाशय पर लागू न होगा।

(3) ऐसे नियम :

(क) नीचे लिखी हुई सब बातों या उनमें से किसी बात को निषिद्ध या नियमित कर सकते हैं, अर्थात्—

(1) स्थिर इंजिनों को लगाना और चलाना;

(2) स्थायी या अस्थायी बाड़े (जो नदियों में मत्स्य पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं) बन्द और बाँध बनाना; और

(3) जालों का नाप, प्रकार और जाल के फंदे या मत्स्य पकड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले किसी अन्य उपकरण का आकार और उनको उपयोग में लाने का ढंग;

(ख) बन्दूक, बर्छी, धनुष और बाण या उसी प्रकार के हथियारों द्वारा मत्स्य मारना या मारने का प्रयत्न करना, जलाशय को विषैला करना या कारखानों इत्यादि के गंदे पानी से जलाशय गंदा करना;

(ग) हेल्सा के अतिरिक्त अन्य अंडे-बच्चे जनने वाली नर और मादा मत्स्य को अंडे देने के दिनों में (In Roe and Milt) पकड़ने या पकड़वाने का उद्योग करने या मारने का निषेध करना;

(घ) लाइसेंस के बिना मत्स्य पकड़ने का निषेध करना, ऐसे लाइसेंस दिए जाने की विधि निर्धारित करना, उनके लिए शुल्क नियत करना और जिन प्रतिबन्धों के साथ वह दिए जाएँगे उनको नियत करना;

(ङ) ऋतुएँ निर्धारित करना, जिनमें किसी विशेष प्रकार की छोटी या बड़ी मत्स्य या उनके अंडे (spawn) पकड़ने या मारने का निषेध होगा;

(च) कम से कम नाप या तौल निर्धारित करना, जिससे कम की किसी निर्धारित प्रकार की कोई मत्स्य मारी या बेची न जाएगी;

(छ) किसी निर्दिष्ट जलाशय में नियत अवधि के लिए मत्स्य पकड़ने का निषेध करना;

(ज) किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के बाहर मत्स्य के निर्यात और उस मूल्य की व्यवस्था करना, जिस पर सब या किसी विशेष प्रकार की मत्स्य निर्दिष्ट मण्डियों में खरीदी या बेची जा सकती है;

(झ) किसी तालाब या झील के स्वामी, साधिकार बन्धकग्राही (mortgagee with possession) या पट्टेदार को यह आदेश देना कि वह ऐसे तालाब, झील में किसी प्रकार या प्रकारों की मत्स्य इकट्ठा करें;

(ञ) मत्स्य व्यवसाय की उन्नति और मछुओं के उत्थान के लिए संघ या समिति स्थापित करने और इसके लिए चंदा एकत्रित करने के सम्बन्ध में नियम बनाएँ।

(4) इस धारा के अन्तर्गत किसी नियम के बनाने में [1][राज्य सरकार] नीचे लिखी हुई बातों की व्यवस्था कर सकती है :

(क) किसी ऐसे उपकरण को छीन लेना, हटा देना और जब्त कर लेना, जो नियमों के विरुद्ध मत्स्य पकड़ने के लिए स्थापित किया या उपयोग में लाया गया हो;

(ख) किसी ऐसे उपकरण द्वारा पकड़ी हुई किसी मत्स्य को जब्त कर लेना; और

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित

(ग) मत्स्य की किसी ऐसे पेटी (consignment) को जब्त करना, जो नियमों का उल्लंघन करके किसी के पास हो या कहीं भेजी जा रही हो।

(5) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ होगा कि उनको बनाने से पहले प्रकाशित किया जाए।

4. मत्स्य की बिक्री का निषेध करने का अधिकार—[1][राज्य सरकार] सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निषेध कर सकती है कि ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किए जाएँ, कोई ऐसी मत्स्य बिक्री या अदला-बदली के लिए प्रस्तुत या प्रदर्शित न की जाए जो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करके पकड़ी गई हो।

5. दण्ड—धारा 3 के अधीन बनाए गए किसी नियम का या किसी ऐसे निषेध का उल्लंघन करने पर, जिसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति निकाली गई हो, नीचे लिखा हुआ दण्ड दिया जाएगा :

(1) पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि दो मास तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो दो सौ रुपए तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड; और

(2) एक बार से अधिक बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि बारह मास तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पाँच सौ रुपए तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

6. अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए बिना वारण्ट के गिरफ्तारी—(1) कोई मत्स्य पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो सब-इंसपेक्टर के पद से नीचे का न हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसे [1][राज्य सरकार] इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकार दे, किसी व्यक्ति को, जो उसके विचार में मत्स्य पकड़ने का कोई अपराध कर रहा हो या करने की चेष्टा कर रहा हो, बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है—

(क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे न मालूम हो; और

(ख) यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता न बताता हो या यदि जो नाम और पता उसने बताया हो, उसके ठीक होने के सम्बन्ध में संदेह करने का कारण हो।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उस समय तक रोका जा सकता है जब तक कि उसका नाम और पता ठीक-ठीक न मालूम हो जाए :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति उतने समय से अधिक न रोका जाएगा जितना उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो, सिवाय उस दशा के जब किसी मजिस्ट्रेट ने उसे रोकने के लिए आज्ञा दी हो।

(3) प्रत्येक मत्स्य पदाधिकारी को मत्स्य पकड़ने के अपराध के सम्बन्ध में तलाशी लेने और जाँच पड़ताल करने के वही सब अधिकार प्राप्त होंगे, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (अधिनियम संख्या 5, 1898)* के अधीन सब-इंसपेक्टर के पद के किसी पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त हैं।

7. द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे दर्जे के मजिस्ट्रेट को विचार करने का अधिकार नहीं है—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर कोई ऐसा न्यायालय विचार न कर सकेगा, जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीची श्रेणी का हो।

(2) किसी मत्स्य पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो सब-इंसपेक्टर के पद से निम्न पद का न हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा, जो प्रान्तीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किए गए हों, अभियोग प्रस्तुत किए जाने की दशा के अतिरिक्त किसी अन्य दशा में कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित

* अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) *देखिए*

8. कुछ अपराधों के सम्बन्ध में समझौता कराने का अधिकार—(1) गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर [1][राज्य सरकार] किसी मत्स्य पदाधिकारी को स्वयं उसके नाम या उसके पद से इस बात का अधिकार दे सकती है, कि वह—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विषय में ऐसा प्रमाण हो जिससे यदि उसका खण्डन न किया जाए, यह सिद्ध हो कि उस व्यक्ति ने परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित मत्स्य पकड़ने का कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए मुआविजे के रूप में कोई धनराशि ग्रहण कर ले, जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण (साक्ष्य) हो और ऐसी धनराशि ऐसे पदाधिकारी को दिए जाने पर वह व्यक्ति, यदि हिरासत में हो, मुक्त कर दिया जाएगा और फिर उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी;

(ख) किसी ऐसी सम्पत्ति को, जो जब्ती के योग्य होने के कारण जब्त कर ली गई हो, बिना कोई और धनराशि लिए या उसका ऐसा मूल्य लेकर, जिसका अनुमान ऐसे पदाधिकारी ने लगाया हो, मुक्त कर दे और ऐसे मूल्य के भुगतान होने पर वह सम्पत्ति मुक्त कर दी जाएगी और उसके बारे में कोई अन्य कार्यवाही न की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के वाक्य खण्ड (क) के अधीन मुआविजे (क्षतिपूर्ति) के रूप में ग्रहण की गई धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होगी, जो परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ में वर्णित अपराध विशेष के लिए उसके द्वितीय स्तम्भ के अनुसार मुआविजे के रूप में ली जा सकती हो।

———

अनुसूची

(धारा 8 देखिए)

मुआविजे (क्षतिपूर्ति) की अधिकतम धनराशियाँ, जो मत्स्य पकड़ने के कतिपय अपराधों के लिए धारा 8 के अन्तर्गत मुआविजे के रूप में ली जा सकती है

अपराध का विवरण	*मुआविजे (क्षतिपूर्ति) के रूप में ली जाने योग्य अधिकतम धनराशि*
1	2
	रु०
1. ऐसे जाल से मत्स्य मारना, जिसके फंदे इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित नाप से छोटे हों	100.00
2. बिना लाइसेंस के मत्स्य मारना	100.00
3. ऐसी मत्स्य को मारना, पकड़ना या बेचना या मारने, पकड़ने या बेचने की चेष्टा करना, जो इस अधिनियम द्वारा निर्धारित मान (स्टैन्डर्ड) से कम नाप या तौल की हो	50.00
4. मत्स्य मारना बन्द रखने वालों की ऋतु में ऐसी जाति की मत्स्य को मारना, पकड़ना या बेचना या मारने, पकड़ने या बेचने की चेष्टा करना, जिन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो	50.00
5. नियम के अधीन स्वीकृत विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य विधि या उपकरण से मत्स्य पकड़ना	50.00

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित

अपराध का विवरण	*मुआविजे (क्षतिपूर्ति) के रूप में ली जाने योग्य अधिकतम धनराशि*
1	2
	रु०
6. मत्स्य मारते समय लाइसेंसदारों का बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को अपनी जालों सहित मत्स्य पकड़ने में सहायता देने के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना	50.00
7. ऐसे जलाशय में मत्स्य पकड़ना या पकड़ने की चेष्टा करना, जिसमें मत्स्य मारने का निषेध हो	50.00
8. ऐसी मत्स्य को बेचने या अदला-बदली करने के लिए उपस्थित या प्रदर्शित करना, जिनका धारा 4 के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र में बेचना निषिद्ध हो	50.00
9. निर्दिष्ट बाजार भाव से अधिक मूल्य पर मत्स्य बेचना या बेचने की चेष्टा करना	50.00
10. धारा 3 की उपधारा (3) के वाक्य खण्ड (ज) के अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करके मत्स्य को बाहर भेजना या भेजने की चेष्टा करना	50.00

———

मत्स्य पालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयज विधियाँ

मत्स्य पालन के पट्टे का नवीनीकरण—पट्टे की अवधि पहले ही समाप्त—यदि मत्स्य पालन के लिए दिए गए पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे पट्टे के नवीनीकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। पट्टा प्रदान करने के लिए फिर से लोक नीलामी होनी चाहिए जिसका कि व्यापक प्रचलन वाले समाचार-पत्रों में विज्ञापन होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक अर्ह व्यक्ति भाग ले सके। यदि पट्टा समाप्त हो चुका है, तो इसका स्वत: नवीनीकरण नहीं हो सकता है [*देश कुमार* ब० *स्टेट ऑफ यू० पी० द्वारा कलेक्टर, मुजफ्फरनगर,* 1998 र० ल० ट० 393 : 1998 (89) आर० डी० 385]।

मत्स्य पालन का अधिकार—याची को मत्स्य पालन के लिए पट्टा दिया गया—जब मछली निकालने के लिए ठेके के सम्बन्ध में स्पष्ट विधान किया गया है कि ठेका तीन वर्ष के लिए उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा, परन्तु यदि पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति की बोली में भाग लेता है और समिति की बोली उच्चतम बोली से 75 प्रतिशत से कम नहीं है तो समिति को मछली निकालने का ठेका उसकी बोली पर दे दिया जाएगा, तथा ऐसी स्थिति में 20 प्रतिशत की अधिक अदायगी पर 10 वर्ष के लिए पट्टे की अवधि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है और नीलामी के लिए की गयी नोटिस या की गयी नीलामी को रद्द नहीं किया जा सकता है [*मझगावन मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि०* ब० *स्टेट ऑफ यू० पी०,* 2000 र० ल० ट० 769 : 2000 (91) आर० डी० 536]।

मत्स्य पालन हेतु पट्टा—वार्ता के आधार पर कार्यवाही—पक्षों द्वारा वार्ता में भाग लिया जाना—असफल पक्ष एक चुनौती—जब कलेक्टर मत्स्य पालन का पट्टा देने के लिए वार्ता के आधार पर कार्यवाही करता है और पक्षकारान वार्ता में भाग लेते हैं, तो असफल पक्षकार वार्ता के माध्यम से अपनी मंजूरी दे देने के कारण ऐसे पट्टे को चुनौती नहीं दे सकता है [*दालचन्द्र* ब० *राम दयाल,* 2001 र० ल० ट० 34]।

मत्स्य पालन हेतु पट्टा—अधिकारों को प्रदान किया जाना—मत्स्य ग्रहण अधिकारों का पट्टा केवल लोक नीलामी द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश या शासनादेश शून्य व निष्प्रभावी होगा [*कमलाकान्त पाठक* ब० *चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, देवरिया,* 2001 र० ल० ट० 155 : 2000 (91) आर० डी० 636]।

मत्स्य ग्रहण अधिकारों का आबंटन—10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा दिया गया— कालावधि की समाप्ति पर नियमत: पट्टे का नवीनीकरण—जब मत्स्य ग्रहण अधिकारों का आबंटन 10 वर्ष के लिए किया गया

और नियत अवधि की समाप्ति के बाद तहसीलदार की आख्या प्राप्त कर नियमत: पट्टे का नवीनीकरण किया गया तो ऐसे नवीनीकरण का आदेश पारित करने के बाद परगनाधिकारी अपने ही द्वारा पारित नवीनीकरण के आदेश को वापस नहीं ले सकता है। यहाँ पर परगनाधिकारी द्वारा नवीनीकरण के आदेश को वापस लेते हुए पारित किया गया आदेश अपास्त कर दिया गया [*ओम प्रकाश* ब० *उत्तर प्रदेश राज्य,* 2001 र० ल० ट० 630 : 2000 आर० डी० 300]।

मत्स्य पालन का अधिकार—पट्टा—गाँव के मछुआरों की सहकारी समिति के पक्ष में बन्दोबस्त— याची ने समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए मत्स्य पालन के अधिकारों के आबंटन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया। उक्त अधिकारों का मत्स्यजीवियों की सहकारी समिति के साथ बन्दोबस्त किया जा सकता है। यदि सम्बन्धित गाँव में कोई सहकारी समिति विद्यमान नहीं थी, तो उक्त अधिकारों का मत्स्यजीवियों की अन्य किसी सहकारी समिति से बन्दोबस्त किया जाना चाहिए, लेकिन सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा याची द्वारा दाखिल अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो कलेक्टर, इलाहाबाद के समक्ष निस्तारण हेतु अभी भी लम्बित है [*मत्स्यजीवी सहकारी समिति* ब० *कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद,* 2003 र० ल० ट० 224 : 2002 (93) आर० डी० 789]।

मत्स्य पालन के लिए पट्टा—नीलामी/टेण्डर में बोलने के लिए कौन भाग ले सकता है?— हमारा देश स्वतंत्र एवं जनतान्त्रिक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार अथवा कारोबार को कर सकता है। मत्स्य पालन हेतु पट्टा के लिए नीलामी/टेण्डर में किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति बोली बोल सकता है [*राम प्रवेश विश्वकर्मा* ब० *उत्तर प्रदेश राज्य,* 2003 र० ल० ट० 412 : 2003 (94) आर० डी० 686]।

मत्स्य पालन के अधिकार का पट्टा—नवीनीकरण का प्रश्न—न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों में यह धारित किया जा चुका है कि मत्स्य पालन के अधिकार का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और यह भी धारित किया गया कि इसके स्थान पर पुन: नीलामी करना पड़ता है। इन निर्णयों में यह भी धारित किया गया कि मत्स्य पालन के अधिकार अथवा कोई अन्य सार्वजनिक संविदा व्यापक प्रचलन वाले दो सुज्ञात समाचार-पत्रों में उसका विज्ञापन निकालने के बाद और उसके पश्चात् सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक टेण्डर करने के बाद ही दिया जा सकता है, जिसमें के सभी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं अन्यथा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा [*अनिरुद्ध* ब० *जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर,* 2003 र० ल० ट० 434 : 2003 (94) आर० डी० 603 : 2003 (3) ए० डब्ल्यू० सी० 2404]।

मत्स्य पालन के अधिकारों की पुन: नीलामी—पूर्व में की गयी नीलामी विद्यमान—तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी—मत्स्य पालन सम्बन्धी पट्टा प्रदान करने का कार्य उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित करने के पूर्व कभी कोई नोटिस जारी नहीं की और न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया और इस प्रकार 'दूसरे पक्ष को भी सुनो' के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश अभिखण्डित किया गया और मामला कलेक्टर के पास प्रतिप्रेषित किया गया कि वह विधि के अनुसार कार्य करे [*शिव पूजन प्रसाद* ब० *जिला न्यायाधीश, चंदौली,* 2003 र० ल० ट० 436 : 2003 (94) आर० डी० 169]।

मत्स्य पालन अधिकार का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है—नए सिरे से नीलामी होना आवश्यक है—इस न्यायालय के अनेक खण्डपीठ विनिश्चयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मत्स्य पालन अधिकारों का कोई नवीनीकरण नहीं हो सकता है। नवीनीकरण के बजाए नए सिरे से नीलामी होनी चाहिए। मत्स्य पालन अधिकार अथवा कोई अन्य लोक संविदा उसके बारे में दो सुविदित व्यापक प्रसार वाले समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने के पश्चात् लोक नीलामी/लोक निविदा आयोजित करके ही प्रदान किया जा सकता है। ऐसा करने पर सभी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं [*अनिरुद्ध* ब० *जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर,* 2003 र० ल० ट० 434 : 2003 (94) आर० डी० 603 : 2003 (3) ए० डब्ल्यू० सी० 2404]।

तालाब के पट्टे की अवधि बढ़ाने का मामला—तालाब के पट्टे की अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में याची द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया कि समुचित किराया बढ़ाकर पट्टे की अवधि बढ़ा दी जाए और इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश के लिए रिट याचिका दाखिल की गयी। रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की गयी कि अधिकारिता होने पर प्रत्यावेदन का निस्तारण यथाशीघ्र कर दिया जाए [*मोहम्मद यासीन* ब० *उ० प्र० राज्य,* 2003 र० ल० ट० 240 : 2002 (93) आर० डी० 790]।

———